न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौंहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 01/2015 (उपखण्ड अधिकारी, सांचोर)
01/2018 (उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा)

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेण्टस
1. खिवणी 2. गेरा 3. जेता पुत्रीयान नाथूजी जातियान विश्नोई निवासीयान पुर (सियागांव) तहसील सांचोर , जालोर		1. भाखराराम 2. जामताराम 3. किशनाराम 4. पांचाराम 5. पुनमाराम पिसरान जोधा 6. मांगी 7. मंगली पुत्रीयां जोधा 8. विरदा 9. वगता पिसरान लालू जातियान विश्नोई निवासीगण सियागांव (पूर) 10. ग्राम पंचायत पुर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पुर प.स. सांचोर 11. जालोर सहकारी भूमि विकास बैंक लि. शाखा सांचोर जरिये सचिव

म्युटेशन अपील बनाराजगी म्युटेशन संख्या 315 दिनांक 13.09.1977 ग्राम पंचायत पूर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. रेस्पोडेण्टस संख्या 1 के अधिवक्ता श्री वीरबहादूरसिंह देवड़ा।
3. रेस्पोडेण्टस संख्या 8 के अधिवक्ता श्री पूखराज विश्नोई।

–: निर्णय :–

दिनांक – 27.07.2023

1. अपीलाण्टस की म्यूटेशन अपील उपखण्ड अधिकारी सांचोर के पत्रांक 303 दिनांक 19.02.2018 से जिला कलेक्टर महोदय जालोर के आदेश क्रमांक/कोर्ट/230–32 दिनांक 27.02.2018 के संदर्भ में खिवणी बनाम भाखराराम की म्यूटेशन अपील की पत्रावली न्यायालय हाजा को सुनवाई हेतु प्राप्त हुई। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर द्वारा रेस्पोडेण्टस के विरूद्व एक म्युटेशन संख्या 315 ग्राम पंचायत पूर के संबंध में अपील प्रस्तुत की गई थी। जिनको दर्ज रजिस्टर कि जाकर रेस्पोडेण्टस को समन जारी किये गए। रेस्पोडेण्टस संख्या 2 से 7 व 9 से 12 की ओर से बाद तामिल कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोडेण्टस 1 की ओर से अधिवक्ता श्री वीरबहादुरसिंह व 8 की ओर से श्री पूखराज विश्नोई द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।
2. अपीलाण्टस के अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सरहद मौजा पुर वर्तमान में नवसृजित गांव सियागांव तहसील सांचोर में अपीलाण्ट के पिता नाथू पुत्र पोला कौम विश्नोई के नाम की खातेदारी भूमि पुराने खसरा नंबर 46 रकबा 52 बीघा 8 बिस्वा व

खसरा नंबर 47 रकबा 5 बिस्वा जुमले रकबा 52 बीघा 13 बिस्वा आई हुई है। जिसके द्वितीय सेटलमेंट के दौरान नवीन खसरा नंबर 111 रकबा 0.33 हे., खसरा नंबर 112 रकबा 8.18हे. सृजित किये गये। उक्त आराजी पर अपीलाण्टस के पिता नाथू की फौतेदगी पर उनकी प्रथम श्रेणी की वारीसान अपीलाण्टस काबिज हुई है।

अपीलाण्टस के पिता नाथू पुत्र पोला की मृत्यु होने से उनके प्रथम श्रेणी वारीसान अपीलाण्टस थी इसलिए उक्त आराजी की खातेदारी अपीलाण्टस के नाम खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी, मगर हल्का पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक व सरपंच ने मिलकर अपीलाण्टस को नुकसान पहूंचाने की नियत से तथा खातेदारी अधिकारों से वंचित रखने हेतु व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रावधानों के विपरीत जाकर मात्र रेस्पोडेण्टस संख्या 1 से 7 के पिता जोधा व रेस्पोडेण्टस संख्या 8 व 9 के नाम म्युटेशन संख्या 315 भरा जाकर उनका नाम इन्द्राज कर दिया तथा अपीलाण्टस को अपने हकों से वंचित कर दिया। अपीलाण्टस का नाम उक्त नाथू की मृत्यु के बाद खातेदारी आराजी में बतौर उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज होना चाहिए था। इस प्रकार म्युटेशन संख्या 315 की कार्यवाही आरम्भ से ही शुन्य व अवैध है जो अपीलाण्टस के विरूद्ध शुन्य बेअसर है।

अपीलाण्टसगण अपनी आराजी पर बैंक से ऋण लेने हेतु हल्का पटवारी के पास दिनांक 13.03.2015 को गई तथा हल्का पटवारी को कहा कि हमें हमारी पुश्तैनी आराजी की जमाबंदी दिलाओं हमें बैंक ऋण लेना है तो हल्का पटवारी ने कहा कि तुम्हारी उक्त खसरा नंबरान की आराजी में तुम बहिनों का नाम नहीं हैं, तुम्हारे पिता के बाद तुम्हारे पिता के भाई के पुत्र जोधा, वगता व विरदा के नाम दर्ज हुई है। इसलिए तुम्हें इस जमाबंदी पर ऋण नहीं मिलेगा तो प्रथम बार अपीलाण्टस को प्रथम बार जानकारी हुई। उसके बाद उसी दिन सांचोर से म्युटेशन इन्द्राज जमाबंदी व जालोर से व नामान्तरण संख्या 315 की नकले ली तो अपीलाण्टस को पता चला कि अपीलाण्टस का नाम शुरू से ही दर्ज नहीं था।

अपीलाण्टस के पिता नाथू पुत्र पोला के फौत होने पर म्यूटेशन संख्या 315 को स्वीकृत करने से पूर्व ग्राम पंचायत पूर द्वारा अपीलाण्टस को कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा न ही सुनवाई का अवसर दिया गया जो प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है। व म्यूटेशन संख्या 315 मौजा पूर वर्तमान नवसृजित सीयागांव जो कि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से आरम्भ से ही अवैध व शुन्य तथा बेअसर होने से काबिल खारिज है।

उक्त म्युटेशन संख्या 315 की अपीलाण्टस को जानकारी दिनांक 13.3.2015 को हुई। इसलिए जानकारी से अपील अंदर म्याद पेश है तथा म्युटेशन संख्या 315 की कार्यवाही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से आरम्भ से अवैध व शुन्य होने पर उसे कभी भी चुनौती दी जा सकती है। अपीलाण्टस अनपढ़ महिला होने से अपीलाण्टसगण को म्युटेशन संख्या 315 की जानकारी नहीं हो सकी। इसलिए अपीलाण्टस की अपील अंदर म्याद पेश है। यदि बिना किसी पूर्वाग्रह के यदि अपीलाण्टस की अपील को अन्दर म्याद नहीं माना जावे तो अपील पेश करने में हुये डीले को कण्डोन करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है। इसलिए अपीलाण्ट की अपील को अंदर म्याद शुमार किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः श्रीमानजी मौजा पुर नवसृजित ग्राम सियागांव तहसील सांचोर के म्यूटेशन संख्या 315 दिनांक 13.08.1977 जो ग्राम पंचायत पुर द्वारा भरकर स्वीकृत किया गया को निरस्त कर उक्त नाथू पुत्र पोला की फौतेदगी पर उसकी खोतेदारी आराजी पुराने खसरा नम्बर 46 रकबा 52 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नम्बर 47 रकबा 5 बिस्वा जूमले रकबा 52 बिघा 13 बिस्वा जिसके द्वितीय सेटलमेंट के दौरान नवीन खसरा नम्बर 111 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 112 रकबा 8.18 हैक्टेयर में उसके प्रथम श्रेणी की वारीसान अपीलाण्टस खिवणी, गेरा, जेता पुत्रीयान नाथू के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावें।

3. रेस्पोडेण्टस संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री वीरबहादुरसिंह देवडा व रेस्पोडेण्टस संख्या 8 की ओर से अधिवक्ता श्री पूखराज विश्नोई उपस्थित।

4. अपीलाण्टस की अपील में सर्वप्रथम अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत म्युटेशन अपील राजस्व रेकर्ड में पूश्तैनी भूमि में वारीसान के नामान्तकरण के अनुरूप इन्द्राज से संबंधित है। जिसमें नाथू फौत होने पर उत्तराधिकार के आधार पर पटवारी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 315 खोला जाकर सरपंच ग्राम पंचायम पूर द्वारा दिनांक 13.09.1977 को स्वीकृत किया गया है। अपीलाण्टस ग्रामीण परिवेश में रहने वाली अनपढ महिला है, जिसको उक्त म्यूटेशन व इसके आधार पर राजस्व रेकर्ड में होने वाले इन्द्राजों की जानकारी नही होने से प्राकृतिक न्याय सिद्वान्त के आधार पर अपीलाण्टस की ओर से पेश धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई दिनांक 13.04.2023 को स्वीकार किया गया।

5. अपील पर अपीलाण्ट व रेस्पोडेस्टस के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. अपीलाण्ट की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए मौजा पुर नवसृजित ग्राम सियागांव तहसील सांचोर के म्यूटेशन संख्या 315 दिनांक 13. 08.1977 जो ग्राम पंचायत पुर द्वारा भरकर स्वीकृत किया गया को निरस्त कर उक्त नाथू पुत्र पोला की फौतेदगी पर उसकी खोतेदारी आराजी पुराने खसरा नम्बर 46 रकबा 52 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नम्बर 47 रकबा 5 बिस्वा जूमले रकबा 52 बिघा 13 बिस्वा जिसके द्वितीय सेटलमेंट के दौरान नवीन खसरा नम्बर 111 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 112 रकबा 8.18 हैक्टेयर में उसके प्रथम श्रेणी की वारीसान अपीलाण्टस खिवणी, गेरा, जेता पुत्रीयान नाथू के नाम नामान्तरकरण दर्ज करवाने का न्यायहित में आदेश फरमावें।

7. रेस्पोडेण्डस संख्या 1 के विद्वांन अधिवक्ता द्वारा बहस में अपीलाण्टस की अपील के तथ्यों को स्वीकारते हुए अपीलाण्टस की अपील सही तथ्यों पर आधारित होने से अपीलाण्टस की अपील माफिक इस्तदुआ स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

8. रेस्पोडेण्टस संख्या 8 के विद्वांन अधिवक्ता द्वारा बहस में बताया कि अपीलार्थीगण के द्वारा मौजा सियागांव पुर तहसील सांचौर जिला जालोर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 111 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 112 रकबा 8.18 हैक्टेयर के अपीलाधीन म्यूटेशन संख्या 315/1977 जो तत्कालीन ग्राम पंचायत पुर ने मुतवाफी नाथू वल्द पोलाजी विश्नोई साकिन पुर के नाऔलाद फौत होने पर, मृतक के सगे भाई मुलबफी लालू वल्द पालाजी विश्नोई के जायन्दा पुत्रों के नाम सेकण्ड क्लास के सक्सेसर के रूप में तत्कालीन तहसीलदार सांचोर के आदेशानुसार हल्का पटवारी पुर द्वारा दाखिल इन्द्राज कर निस्तारण हेतु ग्राम पंचायत पुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दिनांक 13. 09.1977 को ग्राम पंचायत पुर में नियमानुसार दाखिल इन्द्राज म्युटेशन संख्या 315/77 पर ग्रामवासी अथवा किसी अन्य हितबद्व व्यक्ति से कोई उजर आपत्ति प्रस्तुत नही होने से उक्त म्युटेशन अविवादित श्रेणी का होने तथा मुतवफी नाथु अपने पीछे कोई प्रथम श्रेणी के विधिक वारिश के बिना निर्वसियती फौत होने पर तहसीलदार सांचौर के निर्देशानुसार मुतवफी नाथु के सगे भाई के पुत्रों के नाम इन्द्राजसुदा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 315/77 को दिनांक 13.9.1977 को ग्राम पंचायत पुर के सर्वसम्मत निर्णय से पारित किया गया। जिसकी 30 दिन की समाप्ति के पश्चात कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी, भु–अभिलेख अधिकारी अथवा भु–प्रबंध अधिकारी जैसा भी आदेश

के परिपेक्ष्य में जहां अपील की जा सकती हो। के समक्ष किसी प्रकार की अपील नहीं हो सकगी। परन्तु अपीलार्थीगण ने दिनांक 13.9.1977 के लगभग 38–39 वर्षो के पश्चात इतनी वर्षो पुरानी अवधि की देरी का कोई र्प्याप्त व संतोषजनक कारण दिन प्रति दिन की देरी बाबत स्पष्ट किये बिना, सभी अपीलार्थीगण ने दिनांक 13.03.2015 को ऋण प्रयोजनार्थ हल्का पटवारी पुर के पास जाने पर पटवारी को पुछने पर पता चलना बताकर उक्त म्युटेशन सख्या 315/77 दिनांक 3.9.1977 के विरूद्व दिनांक 22. 4.2015 को अपीलीय अदालत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सांचोर के समक्ष हस्तगत म्युटेशन अपील प्रस्तुत की। जो 37 वर्ष 5 माह 21 दिन देरी से प्रस्तुत होने से स्पष्ट वर्षो के अन्तराल पश्चात पेश की जो काबिल खारिज योग्य है।

इसके अलावा सन 1993 से 1996 तक मौके पर वादग्रस्त खेत व तहसील सांचोर के खातेदारी खेतो की द्वितीय भू–प्रबंध कार्यवाही हुई। उस दरम्याद सेटलमेंट कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा द्वितीय भू–प्रबंध प्रयोजनार्थ मौके पर नाप–तोल हुआ है। मौके पर वादग्रस्त भूमि में मृदा के वर्गीकरण व भूमि के किस्म निर्धारण हेतु कार्यवाही हुई है। वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेण्टस के मध्य बंटवाडा होकर रेस्पोडेण्ट विरदा के बंट में आराजी दी गई। रेस्पोडेण्टस द्वारा वादग्रस्त भूमि के अन्दर 38–40 वर्षो से निर्बाध रूप से खेती की जाती रही है। समय–समय से गिरदावरीयां दर्ज होती आ रही है। मगर उपरोक्त प्रक्रियागत कार्य के अन्तराल में 38–40 वर्षो में कभी भी अपीलार्थीगण ने उपरोक्त संव्यवहारों पर कभी कोई आपत्ति नही की। हस्तगत म्यूटेशन अपील अपीलार्थीगण विगत पंचायत व विधानसभा वोटो की चुनावी द्वैष्ता से मुतवफी नाथू मृत्यू के 40 वर्षो पश्चात बिना प्राधिकार के फर्जी व कुटरचित तरिके से रेस्पोडेण्टस को नाहक परेशान करने के आशय से वर्तमान सरपंच पुर ने विवादित उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी कर अपीलार्थीगण से दूसरे रूप से यह 38 वर्ष देरी से हस्तगत म्यूटेशन अपील प्रस्तुत करवाई है, जो खारिज कर न्यायहित में अपीलाण्टस पर खर्चा हर्जा अधिरोपिज करने के आदेश फरमावे।

9. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन कर अपीलाण्टस व रेस्पोडेण्टस की के विद्वांन अधिवक्ताओं के बहस तथ्यों पर मनन किया। अपीलाण्टस द्वारा पेश मौजा पूर की जमाबंदी सवंत 2012 से 2031 में खसरा संख्या 46, 47 जूमले रकबा 52 बीघा 13 बिस्वा में उपभोक्ता नाथु वल्द पोला कौम विश्नोई सा.देह खातेदार दर्ज है। इसी आराजी के संबंध में अपील में पेश नाथू वल्द पोला फौत होने पर म्युटेशन संख्या 315 की प्रमाणित प्रति का अध्ययन किया । जिसमें **नाथू वल्द पोला कौम विश्नोई फौत होने पर नाथू पुत्र पोला के स्थान पर जोधा, विरदा, वगता पि. लालू कौम विश्नोई सा.देह खातेदार दर्ज किया गया। तथा कॉलम संख्या 14 में ''नाथू फौत हाने पर व उसके कोई जाईन्दा पुत्र न होने पर उसके सगे भाई के पुत्र जो वंशावली में वर्णित है, कि अनुसार नामान्तरकरण भरा गया''अंकित है। व नामान्तरकरण पर दर्शित वंशावली में पोला के दो पुत्र लालू व नाथू अंकित है, नाथू फौत हुए करीब 2 माह लिखा गया है व लालू फौत होने पर उनके पुत्र जोधा, विरदा व वगता का नाम अंकित किया गया है।** उक्त म्यूटेशन संख्या 315 ग्राम पंचायत पूर द्वारा स्वीकृत किया गया है। उक्त आराजी का मिलान क्षैत्रफल पेश किया जिसके अनुसार पूराने खसरा नम्बर 46, 47 से नए खसरा संख्या 111, 112 रकबा क्रमश 0.33, 8.18 हैक्टेयर बनाए गए है। ग्राम पंचायत पूर पंचायत समिति सांचोर द्वारा दिनांक 09. 08.2015 को जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जिसमें नाथुराम पुत्र पोलाराम का स्वर्गवास

दिनांक 05.06.1977 को होना व उत्तराधिकारी एवं वारिशदारान में 1. खिवणी पुत्री, 2. गैरा पुत्री, 3. जेता पुत्री अंकित है। इस प्रकार नाथू पुत्र पोला कौम विश्नोई फौत होने पर उनके उत्तराधिकारी अपीलाण्टस (खिवणी, गैरां व जेता) मौजूद थी। लेकिन राजस्व अधिकारीयों द्वारा उक्त पूश्तैनी भूमि में उत्तराधिकारी वारिस पुत्रीयों का नाम दर्ज नही किया गया है। तथा रेस्पोडेण्टस संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा भी बहस में अपीलाण्टस के तथ्यों को स्वीकार किया है। साथ ही रेस्पोडेण्टस संख्या 8 के अधिवक्ता द्वारा भी अपीलाण्टस नाथू की पुत्रीयां नहीं होने के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। इस नामान्तरकरण की कार्यवाही के दौरान नाथू की उत्तराधिकारी पुत्रीयां अपीलाण्टस का नाम म्यूटेशन में आना चाहिए। लेकिन उनका नाम नही लिखा गया। न ही इसके संबंध में कोई विधिक कार्यवाही का कारण बताया गया है। पूश्तैनी भूमि में पिता की मृत्यू होने पर उनके जीवित पुत्र या पुत्रियां को हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी माना गया है। किन्तु म्यूटेशन भरते समय उक्त त्रुटि हुई है। एवं प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तों के तहत सूनवाई करने का अभाव पाया गया है। अतः अपीलाण्टस अपने पिता की आराजी में विधिक हकदार होना साबित होता है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण राजस्थान भू–राजस्व (अभिलेख) नियम 1957 के प्रावधानों के अनुरूप नही होने से उक्त नामान्तरण संख्या 315 को निरस्त किया जाना न्यायसंगत है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्टस की अपील स्वीकार योग्य है।

–: आदेश :–

10. अतः उपयुक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्टस की अपील स्वीकार की जाती है। तथा मौजा पुर तहसील सांचोर के पूराने खसरा नम्बर 46, 47 की आराजी में **नाथू वल्द पोला कौम विश्नोई सा. देह खातेदार** की फौतेदगी पर ग्राम पंचायत पुर द्वारा स्वीकृत नामान्तरणकरण संख्या 315 को निरस्त किया जाता है। तथा उक्त नामान्तरणकरण के आधार पर जमाबंदी में किये गये इन्द्राज भी प्रभाव शुन्य घोषित किये जाते है। तथा उक्त ना0 संख्या 315 को तहसीलदार सांचोर को प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते है कि आप **नाथू वल्द पोला** के तमाम वारीसान की जांच कर उसके अनुरूप नामान्तकरण खोलने की विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार सांचोर को भेजी जावें।

पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन करें।

(कुसुमलता चौंहान)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा